मैसर्स गोएट्ज़ (इंडिया) लिमिटेड

बनाम

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

(2001 की सिविल अपील संख्या 8432)

7 जुलाई, 2008

[डॉ. अरिजीत पसायत और पी. सतशिवम, न्यायमूर्तिगण]

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948

धारा 45 (ए)-नियोक्ता का अंशदान-विलंबित भुगतान -नियोक्ता के ब्याज का भुगतान करने का दायित्व- निर्धारित :-ब्याज के भुगतान का दायित्व वैधानिक है-परित्याग की कोई शक्ति नहीं है-इसलिये राजीनामा या समझौते द्वारा निपटान का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है -ब्याज?

प्रत्यर्थी निगम द्वारा कमर्चारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत देय दक्षता बोनस के घटक के रूप, उठाई गई मांग

को अपीलार्थी कमर्चारी के द्वारा चुनौती दी गई और अंततोगत्वा उक्त का भुगतान करने के लिये सहमत हो गया, तत्पश्चात निगम ने विलम्बित रूप से भुगतान की गई राशि पर ब्याज की मांग की जिसे अपीलार्थी द्वारा रिट याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। अपीलार्थी का यह तक रहा कि राशि का भुगतान पक्षकारान के मध्य हुये राजीनामा के आधार पर किया गया था जो ईएसआई न्यायालय के इस प्रभाव के आदेश से स्पष्ट है कि इसके पश्चात अपीलार्थी के द्वारा कुछ भी भुगतान योग्य देय नहीं है। निगम का मामला यह था कि ब्याज का भुगतान करने का वैधानिक दायित्व था इसलिये समझौता कर ब्याज का अभित्याग/परित्याग करने का प्रश्न ही नहीं है। उच्च न्यायालय के द्वारा रिट याचिका खारिज की गई। व्यथित होकर कर्मचारी द्वारा हस्तगत अपील दायर की गई।

अपील को खारिज करते हुये न्यायालय ने निर्धारित किया कि

निर्धारित: 1.1 अंशदान का भुगतान करने में विलम्ब होने के कारण निगम ने प्रथम बार दिनांक 29.06.1990 को नोटिस जारी

किया, तत्पश्चात दिनांक 23.07.1992 को कमर्चारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 45 (ए) के अन्तर्गत एक आदेश पारित किया गया। इसी आदेश को ईएसआई न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई जिसमें दिनांक 09.10.1992 को अंतिरम स्थगन पारित किया गया। प्रकरण के लम्बित रहने के दौरान पुनः सत्यापन करते हुये अपीलार्थी द्वारा देय राशि निधार्रित की गई, ब्याज के भुगतान का दायित्व वैधानिक है जिसे परित्याग करने की कोई शक्ति नहीं है। अतः राजीनामा या समझाौता का प्रश्न ही उदित ही नहीं होता (पैरा नं-6) (194-डी-एफ)

1.2 अन्यथा भी ईएसआई न्यायालय का आदेश जिसपर अपीलार्थी द्वारा विश्वास किया गया और प्रस्तुत किया गया-भी इस सम्बन्ध में कोई सहायता प्रदान नहीं करता है। इस सम्बन्ध में केवल यह कथन उल्लेखित है कि अपीलार्थी ने अपने अंशदान का भुगतान जमा करवा दिया है। "आगे कोई देय नहीं" का संदर्भ स्पष्ट रूप से देय भुगतान से सम्बंधित है और इसके अलावा कुछ भी नहीं । (पैरा 6)(194-एफ-जी)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2001 की सिविल अपील संख्या 8432

चण्डीगढ में पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के सी.डब्ल्यू.पी. नं. 13918/2000 से एम.एल.वर्मा, मीरा माथुर एवं सत्यमित्रा अपीलार्थी की और से सी.एस.राजन, अनुपम मिश्रा एवं वी.जे. फ्रासिस प्रत्यर्थी की और से।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पसायत न्यायमूर्ति द्वारा पारित किया गया

1. इस अपील में पंजाब एण्ड हरियाणा उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा अपीलार्थी की और से प्रस्तुत की गई रिट पिटिशन को खारिज किये जाने को चुनौती दी गई।

2. विवाद का क्षेत्र अत्यंत सकीर्ण है।

प्रत्यर्थी कमर्चारी राज्य बीमा निगम (संक्षिप्त में 'निगम') ने कमर्चारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (संक्षिप्त में 'अधिनियम') के अन्तर्गत अपने आदेश दिनांक 23.07.1992 के द्वारा जनवरी 1988 से सितम्बर 1989 की अवधि हेतु दक्षता बोनस के घटक के

रूप में अंशदान की मांग उठाई। उक्त मांग को ईएसआई न्यायालय के समक्ष इस अधिनियम की धारा 75 के अन्तगर्त चुनौती दी गई। ईएसआई न्यायालय के समक्ष कायर्वाही के लम्बित रहने के दौरान निगम ने अपने पत्र दिनांकित 01.03.1997 के द्वारा देय राशि के निधार्रण हेतु 1989 से 1991 तथा 1992 से 1994 की अवधि का अभिलेख पुनः सत्यापन करने के प्रयोजन से प्रस्तुत करने के लिये कहा।

प्रत्यर्थी निगम ने पुनः सत्यापन कर वास्तविक देय राशि का निर्धारण निम्नानुसार किया:

(क) 01/88 से 03/89 तक रूपये 2,26,454/-

(ख) 04/89 से 03/94 तक रूपये 5,28,071/-

योग रूपये 7,54,525/-

अपीलार्थी उक्त योगदान का भुगतान करने को सहमत हो गया तथा उक्त का भुगतान अक्टूबर/नवम्बर 1997 का किया गया।

अपीलार्थी ने यह अभिवाक लिया कि उसके पास पात्रता के सम्बन्ध में एक सदभाविक विवाद है। चूंकि 'दक्षता बोनस' की पात्रता, योजना के अन्तर्गत एक त्रैमास में 50 दिवस की उपस्थिति की शर्त के अधीन थी जिसका त्रैमासिक भुगतान किया जाना था। अपीलार्थी ने यह अभिवाक लिया कि यह अधिनियम की धारा 2(22) में परिभाषित मजदूरी की परिभाषा से बाहर है। अपीलार्थी ने यह तर्क दिया कि उसका अभिवाक इसी न्यायालय के न्याय निणर्यन *वर्लपूल आफ इण्डिया लिमिटेड बनाम कमर्चारी राज्य बीमा निगम* [2000(3) एससीसी 185] द्वारा अनुसमर्थित है। ईएसआई न्यायालय ने अपीलार्थी के इस अभिवाक को ध्यान में रखते हुये दिनांक 06-01-1998 को प्रकरण का निस्तारण कर दिया कि अपीलार्थी ने पुनः सत्यापन के पश्चात निश्चित राशि जमा करवा दी थी एवं अपीलार्थी द्वारा निष्पादित बैंक गारंटी भी जारी कर दी गई थी। दिनांक 11.01.2000 को निगम ने अपीलार्थी को एक पत्र लिखकर 1998 से 1994 की अवधि के लिये निगम

को भुगतान की गई राशि पर ब्याज का भुगतान करने की मांग की, जो कि आदेश दिनांक 06-01-1998 द्वारा समर्थित थी और ब्याज की राशि 4,61,825/- रूपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका के माध्यम से इस मांग को चुनौती दी गई। अपीलार्थी का अभिवाक यह रहा है कि राजीनामा हो चुका है तथा ईएसआई न्यायालय के इस प्रभाव के आदेश से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा कुछ भी भुगतान योग्य शेष नहीं है। निगम का यह तर्क रहा है कि ब्याज के भुगतान का दायित्व वैधानिक है इसलिये कोई राजीनामा नहीं किया जा सकता। किसी भी स्थिति में अपीलार्थी का यह तर्क था कि ईएसआई योगदान के रूप में कुछ भी देय नहीं था इसलिये बैंक गारंटी जारी कर दी गई थी। चूंकि ब्याज की राशि को क्षमा अथवा परित्याग करना वैधानिक रूप से स्वीकार्य नहीं है। अतः किसी भी समझौते का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। उच्च न्यायालय ने अभिवाक को स्वीकार किया और रिट याचिका खारिज कर दी गई।

3. अपील के समर्थन में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह अभिवाक रहा कि चूंकि एक स्थगन आदेश पारित था, अतः

ब्याज का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। इसके अतिरिक्त निगम के अधिवक्ता ने जब कथन किया कि आगे कुछ भी देय नहीं है तो यह स्पष्ट रूप से संकेत करता है कि यह ब्याज के परित्याग के सम्बन्ध में समझौते के तहत एक कथन था। इस और ध्यान आकृष्ट किया गया कि मात्र विवाद शांत करने के प्रयोजन से अपीलार्थी इस राशि के भुगतान हेतु सहमत हुआ था, यद्यपि उसका मामला *वर्लपूल केस* (उपर्युक्त) के अन्तर्गत आता था।

4. दूसरी ओर प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह अभिवाक लिया कि ब्याज माफ/परित्याग करने के लिये किसी समझौते का कोई प्रश्न ही नहीं है क्योंकि यह वैधानिक रूप से देय है। चूंकि समझौते का कोई प्रावधान ही नहीं है, अतः बिना किसी अधिकार के समझौता नहीं किया जा सकता। इसलिये यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण सही था।

5. विरोधाभासी व विपरीत अभिवाकों के विवेचन करने के लिये यह आवश्यक होगा कि कुछ प्रावधान पर ध्यान दिया जाये। धारा 39 तथा विनियमन 31 एवं 31क निम्नानुसार है:

धारा 39- अंशदान

5(क) यदि इस अधिनियम के अधीन संदेय कोई अभिदाय प्रधान नियोजक द्वारा उस तारीख को संदत्त नहीं किया जाता है जिसको ऐसा अभिदाय देय हो गया है तो वह बारह प्रतिशत की दर से या ऐसी उच्चतर दर से, जो विनियमों में विनिर्दिष्ट की जाए, साधारण ब्याज का संदाय उसके वास्तविक संदाय की तारीख तक करने के दायित्वाधीन होगा।

विनियम 31-अंशदान भुगतान की समय सीमा नियोक्ता जो किसी कमर्चारी के लिये अंशदानों के भुगतान के लिये उत्तरदायी हो, वह, जिस कलेण्डर माह में अंशदान देय होता है उसके अंतिम दिन से 21 दिनों के अंदर-अंदर इन अंशदानों का भुगतान करेगा।

परंतु जहाँ कारखाना/प्रतिष्ठान स्थाई रूप से बंद कर दिया गया हो, नियोक्ता उसे बंद करने के अंतिम दिन अंशदानों का भुगतान करेगा।

विनियम 31ए-समय पर भुगतान नहीं किये गये अंशदान पर ब्याज:

नियोक्ता, जो विनियम 31 में उल्लेखित समयावधि के अंदर अंशदान का भुगतान करने में असफल होता है, वह चूक के प्रत्येक

दिन या अंशदान भुगतान में विलम्ब के लिये (12 प्रतिशत वार्षिक की दर से) साधारण ब्याज का भुगतान करेगा।

6. चूंकि अंशदान का भुगतान करने में विलम्ब हुआ था, अतः निगम ने प्रथम बार दिनांक 29.06.1990 को नोटिस जारी किया एवं उसके बाद दिनांक 23.07.1992 को इस अधिनियम की धारा 45(क) के तहत आदेश पारित किया गया। इस आदेश को ईएसआई न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई जिसमें दिनांक 09-10-1992 को अंतरिम स्थगन पारित किया गया। मामले के लम्बित रहने के दौरान पुनः सत्यापन किया गया एवं अपीलार्थी के द्वारा देय राशि की गणना की गई। ब्याज के भुगतान का दायित्व वैधानिक है। परित्याग की कोई शक्ति नहीं है। राजीनामा या समझौता का कोई प्रश्न ही उदित नहीं होता। अन्यथा भी ईएसआई न्यायालय का आदेश, जिसे निर्देशित किया गया एवं जिसपर अपीलार्थी ने विश्वास जताया, भी अपीलार्थी को कोई सहायता नहीं करता है। इसमें मात्र यह कथन लिया गया है कि उसने देय अंशदान जमा करवा दिया है। "कुछ और देय नहीं" वास्तव में देय अंशदान के संदर्भ में था, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं।

7. उपरोक्त परिस्थितियों में अपील सारहीन है तथा खारिज किये जाने योग्य है जो तदनुसार खारिज की जाती है। खर्चे के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

अपील खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी डा॰ सूर्यप्रकाश पारीक (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।